न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

प्रार्थना पत्र सख्याः–114/14 (आरसीएमएस नं. 2014/00075)

1. रामनारायण पुत्र स्व. लाला पुत्र बलदेव, जाति मीना, निवास सवाईगेटोर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. रामकरण पुत्र स्व. री बद्रीनारायण पुत्र स्व. लाला, जाति मीना, निवासी सवाईगेटोर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. जपयुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये उपायुक्त, न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, जोन सी–2, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर हाल जोन–09 जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. इन्द्रा नगर गृह निमार्ण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर जरिये मंत्री, 907, सोखियों का रास्ता, किशनपोल बाजार जयपुर, डी–13, गोविन्दपुरी, ज्योतिबा फूले रोड़, सोडाला, जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 23.04..2019

मूल अपील के रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा यह रिव्यू प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 27.01.2014 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत गया।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रारम्भिक आपत्ति के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान् के समक्ष दिनांक 16.03.2016 को प्रार्थी/मूल अपील के रेस्पोडेन्ट संख्या 3 समिति जरिये मंत्री मोहित शर्मा के एक रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जबकि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 3 समिति पर दिनांक 10.12.2014 को ही समापक नियुक्त हो गया था तथा उक्त दिनांक से रेस्पोडेन्ट संख्या 3 समिति के सम्बन्ध में सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही या अन्य कार्यवाही से सम्बन्धित सभी अधिकार समापक में निहित हो गये, इस प्रकार न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का किसी प्रकार का लोकस स्टेण्डाई व अधिकार प्राप्त नही है तथा वर्तमान में उक्त समिति पर दिनांक 10.12.2014 से निरन्तर समापक नियुक्त हैं।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान् के मूल आदेश दिनांक 27.01.2014 के विरूद्ध राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में एक निगरानी/एल.आर./2233/2016/जयपुर उनवानी मनफूली बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण विचाराधीन है तथा उक्त उनवानी प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 भी पक्षकार है तथा उनकी ओर से राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में पैरवी की जा रही है, ऐसी स्थिति में यदि न्यायालय श्रीमान् के समक्ष किसी भी प्रकार की निगरानी/अपील प्रस्तुत हो जाती है तो ऐसी अवस्था में कानूनन न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/अपील स्वतः ही सारहीन हो जाता है तथा यह न्यायिक व्यवस्था का

P.T.O.

सुस्थापित सिद्धान्त भी है कि एक निर्णय के सम्बन्ध में दो लगल–अलग न्यायालयों के समक्ष उज्रात नही किये जा सकते है। जिससे न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष आदेश 41 नियम 21 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.05.2014 को प्रस्तुत किया गया तथा उक्त दिनांक को समिति अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा ''मंत्री मोहित शर्मा डी–13, ज्योतिबा फूले रोड़, गोविन्दपुरी सोड़ाला जयपुर अंकित किया गया, इसी प्रकार स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपने अन्य सिविल वाद में न्यायालय रजिस्ट्रार सहकारी समितिया राजस्थान जयपुर में एक अपील संख्या 9/2015 में वर्ष 2015 में प्रस्तुत की गई जिसमे स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपना पता ''जरिये मंत्री मोहित शर्मा 761, गणेश पथ, मालवीय नगर, गोपालपुरा मोड़ जयपुर का उल्लेखित किया गया'' इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने एक वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) क्रम संख्या 26, जयपुर महानगर जयपुर सांगानेर के समक्ष उनवानी इन्दिरा गृह निमार्ण सहकारी समिति बनाम कान्तिदेवी व अन्य प्रस्तुत किया जिसक मुकदमा संख्या (टी.आई प्रार्थना पत्र संख्या 385/2015) जिसमें अपना पता ''जरिये मंत्री मोहित शर्मा, 14, टेलीफोन कॉलोनी टोंक फाटक, जयपुर का उल्लेख किया।'' जबकि न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पुनः दिनांक 16.03.2016 को एक प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया गया जिसमें अपना पता ''जरिये मंत्री मोहित शर्मा डी–13, ज्योतिबा फुले रोड़, गोविन्दपुरी, सोड़ाला जयपुर उल्लेख किया गया।'' इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने स्वयं अपनी मनमर्जी के अनुसार समिति को बिना किसी कानूनी अधिकार के अपना पता बदलता रहता है जबकि इसी कारण राज्य सरकार ने जालसाजी एवं समिति के प्रावधानों के बाहर जाकर कार्य करने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 3 समिति का अवसान करके दिनांक 10.12.2014 को समापक नियुक्त किया गया, उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने न्यायालय सहकारी समितिया जयपुर के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.10. 2015 द्वारा समापक नियुक्ति के आदेश दिनांक 10.12.2014 को यथावत रखा गया है, इस प्रकार निरन्तर रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 3 समिति समापक के अधिकार में ही है फिर भी जरिये मंत्री पुरानी कार्यकारिणी के द्वारा किसी भी प्रकार का लोकस स्टेण्डाई नही होने के बावजूद न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छिपाते हुए एवं गुमराह करने की गरज से मिथ्या तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि मूल अपील में न्यायालय श्रीमान् द्वारा गुणावगुण निर्णय दिनांक 27.01.2014. पारित किया गया है जिसके विरूद्ध वर्तमान में एक निगरानी संख्या 2233/2016 राजस्व मण्डल राज, अजमेर में विचाराधीन है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के रिव्यू प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पोषणीय नही है। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का प्रार्थना रिव्यू खारिज फरमाया जावें।

P.T.O.

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने कथन किया है कि प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा स्वयं की प्रार्थना पत्र में दिनांक 16.03.2016 को समिति मंत्री द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना अभिकथित किया है जो कतई मिथ्या है, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित एकतरफा निर्णय की जानकारी होने पर अतिशीघ्र दिनांक 19.05.2014 को प्रार्थना पत्र रिव्यू प्रस्तुत किया गया है, तथा इस मद में यह भी मिथ्या लिखा है कि दिनांक 10.12.2014 को समापक नियुक्त किया गया जो निरन्तर नियुक्त है जबकि वास्तविकता यह है कि समिति पर दिनांक 30.07.08 को समिति समापक नियुक्त का आदेश किया गया था जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट समिति द्वारा न्यायालय सहकारिता मंत्री के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जिसमें उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2009 को स्वयं का निर्णय पारित किया जिसमें समिति पर समापक नियुक्त को निरस्त कर समिति की निर्वाचित कार्यकारिणी को समिति के क्रियाकलापों एवं संचालन के लिये वैध होना माना है तत्पश्चात् दिनांक 10.12.2014 को समिति रेस्पोडेन्ट संख्या 3 पर पुनः समापक नियुक्ति का आदेश दिया गया, इस पर समिति व आवंटी सदस्यों ने रजिस्ट्रार सहकारी समितिया राज. जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें निर्णय दिनांक 05.10.2015 के उक्त समापक के नियुक्ति के आदेश की पुष्ट करते हुये अपील निर्णित की है।

अधिवक्ता अपील के रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने कथन किया है कि समिति व आवंटियों ने निर्णय दिनांक 05.10.2015 के विरूद्ध अपील सहकारिता अधिकरण, जयपुर शहर के समक्ष दिनांक 02.12.2015 को प्रस्तुत की जिसमें उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 23.12.2015 को स्थगन आदेश पारित किया गया है, जो विचाराधीन है। उन्होने आगे कथन किया है कि राजस्थान सहकारी अधिनियम की धारा 63 में प्रावधान है कि रजिस्ट्रार धारा 61 के अधीन किसी सहकारी सोसायटी के परिसमापन के लिये कोई आदेश जारी किया हो तथा धारा 61(3) के अनुसार जहॉ धारा 104 के अधीन कोई अपील की जावें वहॉ धारा 61 के अधीन किया गया किसी सहकारी सोसायटी के परिसमापन का कोई आदेश तत्पश्चात् तक प्रवर्तित नही होंगा जब तक कि अपील में पुष्ठि ना कर दी जावें, इस प्रकार समिति द्वारा दिनांक 10.12.2014 एवं 05.10.2015 के आदेश की अपील सहकारिता अधिकरण के समक्ष विचाराधीन है जिसमें न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया हुआ है तथा समिति का निर्वाचन मण्डल वर्ष 30.07.2008 से वर्तमान तक समस्त कानूनी कार्यवाहीयों किये जाने हेतु कानूनानुसार अधिकृत है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने कथन किया है कि दिनांक 27.01.2014 को न्यायालय श्रीमान् द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया था जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट समिति द्वारा बाद जानकारी दिनांक 19.05.2014 को रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा मनफुली अपीलार्थीगण के परिवार से है जिनके द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में स्वयं के हक व अधिकार की वादग्रस्त भूमि में होना अभिकथित कर निगरानी प्रस्तुत की है जिसकी सूचना इस प्रार्थना पत्र के द्वारा रेस्पोडेन्ट को हुयी है, रेस्पोडेन्ट की अभी तक तामील नही करवायी है। उन्होने कथन

किया है कि अपीलान्ट द्वारा समिति के मंत्री मोहित शर्मा के निवास स्थान के सम्बन्ध में उल्लेखित किया गया कि उसमें मंत्री का निवासी डी–13, ज्योतिबा राव फुले रोड़, गोविन्दपुरी सोड़ाला जयपुर तथा प्लॉट नम्बर 14, टेलीफोन कॉलानी टोंक फाटक जयपुर मंत्री मोहित शर्मा द्वारा स्वयं की रिहायश के किये किराये पर लिये गये परिसर है तथा मंत्री मोहित शर्मा सदैव किराये के परिसारों में रहा जहॉ भी रहा वहॉ का ही पता उसने लिखवाया है लेकिन अपीलार्थीगण ने अपील में उपरोक्त लिखित पतों से पृथक पता जानबुझकर पता 907, सौखियों का रास्ता, किशनपोल बाजार जयपुर लिखाया जहॉ पर समिति का कोई कार्यालय नही है एवं ना ही मंत्री मोहित शर्मा ने कभी वहॉ निवास किया है, इस तथ्य की पूर्ण जानकारी अपीलार्थीगण को थी तथा उन्होने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 समिति की गैर मौजूदगी में गलत आदेश प्राप्त किये जाने में सफल हो गये बाद जानकारी समिति द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 प्रारम्भिक आपत्ति निरस्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा यह हस्तगत रिव्यू प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 27.01.17 जबकि न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय दिनांक 27.01.14 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निगरानी संख्या 2016/2233 प्रस्तुत की गई है जो कि राजस्व मण्डल के समक्ष विचाराधीन है ऐसी स्थिति में कानूनन एक ही निर्णय के विरूद्ध दो न्यायालयों में एकसाथ सुनवाई नही की जा सकती है। चूँकि प्रकरण वर्तमान में निगरानी अपर न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष विचाराधीन है जिसमें न्यायालय हाजा की मूल पत्रावली भी भिजवाई जा चुकी है ऐसे में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 27.01.14 के सम्बन्ध में अपने उज्रात राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत कर चाराजोही कर सकते है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किया जाता है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।